

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2009/कार्तिक 29, 1931

[रा.रा.क्षे. दि. सं. 237

No. 183]

DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2009/KARTIKA 29, 1931

[N.C.T.D. No. 237

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

सं. फा. 10(12)/वित्त (कर एवं स्थापना)/2009-10/जेएसएफ/491 (i).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की धारा 10 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री संदीप गुलाटी को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला आबकारी अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं. फा. 10(12)/वित्त (कर एवं स्थापना)/2009-10/जेएसएफ/491 (ii).—दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री संदीप गुलाटी को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विलासिता कर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

4227 DG/2009

सं. फा. 10(12)/वित्त (कर एवं स्थापना)/2009-10/जेएसएफ/491 (iii).—दिल्ली मनोरंजन एवं बाजी कर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत आबकारी, मनोरंजन, बाजी कर एवं विलासिता कर, दिल्ली आयुक्त के कर्तव्यों के निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए श्री संदीप गुलाटी को, उक्त पद ग्रहण करने तक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मनोरंजन एवं बाजी कर अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अजय कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव

FINANCE (TAXES AND ESTABLISHMENT)
DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2009

No. F. 10(12)/Fin. (T&E)/2009-10/JSFin./491(i).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 10 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914), as in force in the National Capital Territory of Delhi, and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Sandeep Gulati, as District Excise Officer, to

